बिहार सरकार

परिवहन विभाग

राज्य परिवहन आयुक्त का कार्यालय, बिहार, पटना।

वाहन स्वामी कृपया ध्यान दें।

पत्रांक–**04/STA-(विविध)-41/2018** परि0–2816 /पटना,दिनांक– 13/04/2026

निदेशानुसार सर्वसाधारण को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की बैठक में यह पाया गया है कि वाहन परमिट से आवृत्त नहीं होने के बावजूद परिचालन किया जाता है एवं राज्य सरकार के राजस्व की चोरी की जाती है।

अवगत कराना है कि परमिट के बिना यानों के उपयोग किये जाने पर मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा–192क. की उपधारा–1 के अनुसार 10,000/–रू0 की शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है।

अतः वर्णित तथ्यों के आलोक में इस प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सभी वाहन स्वामियों को सूचना दी जाती है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 के संगत प्रावधानों के आलोक में वैध परमिट प्राप्त कर ही वाहन का परिचालन करें अन्यथा वाहन परमिट से आवृत्त नहीं होने के बावजूद परिचालन किये जाने की स्थिति में राज्य परिवहन प्राधिकार, बिहार की आगामी बैठकों में 30 दिनों के परिचालन की जाँच करते हुए उन अवैध परिचालन दिनों के लिए अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा।

13.4.26

सचिव,
राज्य परिवहन प्राधिकार,
बिहार, पटना।